**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1614**

**बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**आंध्र प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का चरण-II।**

**1614. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:**

**डॉ. बायरेड्डी शबरी:**

**क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सौर और पंप संचयन संयंत्रों से राज्य ग्रिड तक अक्षय ऊर्जा के निष्कर्षण के उद्देश्य से 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के चरण-III' का कोई प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) या विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि तथा उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित पारेषण क्षमता (मेगावाट में), लाइन की लंबाई (किलोमीटर में) और सब-स्टेशनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को कोई स्वीकृति या मंजूरी प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस चरण में उक्त परियोजना के लिए निधि स्वीकृत या आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद इसकी स्वीकृति, प्रारंभ होने तथा पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री**

**(श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क) से (ङ): ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) चरण-III योजना के लिए आंध्र प्रदेश सहित राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

आंध्र प्रदेश का प्रस्ताव, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एपीट्रांस्को) द्वारा दिनांक 27.12.2024 के पत्र के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में 7,872 सर्किट किलो मीटर (CKM) ट्रांसमिशन लाइनों और 9,500 MVA क्षमता के साथ पांच 400 KV सबस्टेशनों का निर्माण शामिल है।

GEC चरण- III योजना को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है; अतः, इस स्तर पर कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

*****